न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 226/17 **निर्णय दिनांकः** 31-3-21
(जीसीएमएस संख्या 2017/00123)

1. नानकराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी चक 2 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. इमीलाल पुत्र कालूराम जाति सुथार निवासी खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़।

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 23–11–2016 के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट को मिडियम पेच में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:26:17 IST
Reason: Self Attested

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के धारण में चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 107/39 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 107/47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 16 व 21 पूर्व में आवंटित भूमि है। इसी मुरब्बा नम्बर 107/47 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि आराजीराज स्थित है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को मिडियम पेच आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 08–11–2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तमाम जॉच के उपरान्त वादगत् भूमि का आवंटन आदेश जारी कर दिये गये तथा उक्त भूमि का चालान संख्या 0014158128 दिनांक 01–12–2016 राशि 1,35,300/– व चालान संख्या 0014159193 दिनांक 21–12–2016 राशि 83,020/– जारी किये जाने पर अपीलांट द्वारा उक्त राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई। इस प्रकार अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो जाने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि का पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही किये जाने पर अपीलांट को ज्ञात हुआ कि वादगत् भूमि बतौर विशेष आवंटन में अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना नोटिस, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के आवंटन आदेश में अभिलिखित किया गया है कि संयुक्त उपखण्ड खाजुवाला में हुई आवंटन सलाहकार समिति में प्रथम श्रेणी के आवेदकों को आवंटन किये जाने बाबत् निर्णय [illegible] जा चुका है। उक्त आवंटन सलाहकार समिति कब आहूत [illegible] उक्त बैठक में कौन–कौन सदस्य उपस्थित आये उनके किसी [illegible] के कोई हस्ताक्षर व टिप्पणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyam
Date: 2021.07.15 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अंकित नहीं की गई है। मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए अभिलिखित किया गया है कि पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई। अदालत मातहत की उक्त तमाम कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने व वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किये जाने के उद्वेश्य मात्र से की गई कार्यवाही है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के धारण की भूमि चिपते भूमि है ऐसीस्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की भी बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सर्वप्रथम कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण प्रस्तुत किये गये है, वे संतोषजनक व युक्तियुक्त कारण नहीं है। जिसके आधार पर अपीलांट को मियांद के बिन्दु पर कोई राहत प्रदान की जा सकती हो। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

तत्पश्चात् विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपूर्ण अपील की श्रेणी में आती है तथा इसी स्तर पर खारिज योग्य अपील है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 127/18 में भूमि आवंटन हेतु वर्ष 2000 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु उक्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदकों की तुलना में अपीलांट की प्राथमिकता निचले कम में होने से उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को होने पर अदालत मातहत द्वारा नियम 13 (ए)(5) परन्तुक के अन्तर्गत अन्य रकबा चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 107/47 में 20 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 107/54 में 15 बीघा इस प्रकार कुल 35 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने का उल्लेख किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्त[illegible] औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.16 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आवंटन के पश्चात् 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अपीलांट का वादगत् भूमि के आवंटन का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि वर्ष 1999 से गजट में प्रकाशित भूमि है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन अन्य किसी श्रेणी में नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन मिडियम पेच श्रेणी में किया गया है। अपीलांट के उक्त आवंटन को आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–11–1992 के माध्यम से खारिज किया जा चुका है। आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 09–07–1996 को अपीलांट की निगरानी खारिज करते हुए आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का आदेश बहाल रखा गया है। अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश को किसी समक्ष न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश फाईनल हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2001 पेज 351 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर चक 2 कोपीएम के मुरब्बा नम्बर 107/47 व मुरब्बा नम्बर 107/54 में 35 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:46:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) जहॉ तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मियांद के संबंध में आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मियांद के बिन्दु पर प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है।

(3) प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर किये जाने के बजाय गुणावगुण पर किया जाना उचित व न्यायसंगत होता है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आपत्ति खारिज करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटनों व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 107/47 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में कुल 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच आवंटन किया गया है। अपीलांट के उक्त आवंटन को आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन द्वारा अपने आदेश दि. 25–11–1992 के माध्यम से अपीलांट के आवंटन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट/अप्रार्थी नानकराम को भिन्न भिन्न तारीखों में चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 107/47 व 107/48 में 34 बीघा 11 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनकमाण्ड भूमि बतौर स्मालपेच आवंटन किया गया है उक्त आवंटन रिकार्ड के विपरीत रिपोर्ट करने से हुआ है अतः अपीलांट के उक्त आवंटन नियम 22 (3) के तहत निरस्त किये जाते है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष चुनौती दिये जाने के फलस्वरूप माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 09–07–2016 के माध्यम से अपीलांट की निगरानी खारिज करते हुए आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 25–11–1992 को यथावत बहाल रखा गया है। इस प्रकार अपीलांट के उक्त आवंटन को उच्चतर न्यायालयों द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश फाईनल आदेश हो चुका है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 01–12–2016 को राशि 1,35,300/– रूपये जमा करवाये जाने की रसीद प्रस्तुत की गई है, परन्तु जब अपीलांट का आवंटन दिनांक 09–07–1996 को ही खारिज हो चुका है तब ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती तारीख में राशि जमा करवाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, ना ही अपीलांट उक्त जमा करवाई राशि के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार सबित कर सकता है।

(5) प्रकरण में तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 107/47 के किला नम्क्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में कुल 20 बीघा अनकमाण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। उक्त आवंटन आवंटन नियम 13 ए (5) (परन्तुक) के अध्ययधीन इस आधार पर किया गया है कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 08 दिसम्बर, 1999 के गजट में प्रकाशित है तथा प्राथमिकता रजिस्टर में अन्य किसी आवेदक ने इस पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम दस्तावेजी औपचारिकतायें पूर्ण कर रखी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानेराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के तमाम अधिकार हासिल किये जा चुके है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट का आवंटन पूर्व में ही उच्चतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Saiyan
Date: 2021.07.15 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालयों द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से अपने आवंटन को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को चुनौती नहीं दे सकता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–11–2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31-7-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested